महत्वपूर्ण निर्देश- 20

छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 4920002

क्रमांक/2978/बी–14–2/2008/14–2 रायपुर, दिनांक 19/08/2010

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ रायपुर**
2. **संचालक कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर**
3. **प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी बैंक मर्या. रायपुर**

विषयः– कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगने वाले कृषि आदानों की व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश।

कृषि विभाग के द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय, केन्द्र प्रवर्तित, राज्य पोषित कृषकोन्मुखी योजनाएं क्रियान्वित की जाती है। जिनके अन्तर्गत फसल प्रदर्शन मिनिकिट वितरण, कृषि आदानों का अनुदान पर वितरण आदि कार्य किया जाता है।

2/ यह देखने में आया है कि विपणन संघ अथवा सेवा सहकारी समितियों द्वारा संबंधित जिलों के उपसंचालक कृषि की मांग पर आवश्यक कृषि आदान सामग्री जिलों को या तो समय पर प्रदाय नहीं की जा रही है अथवा प्रदाय ही नहीं की जा रही है, इससे योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है, तथा राशि बचत रह जाती है। फलस्वरूप योजनाओं का समुचित लाभ कृषकों को नहीं मिल पा रहा है।

3/ समग्र रूप से विचार उपरांत निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जिले के उपसंचालक कृषि द्वारा विपणन संघ अथवा जिले की संबंधित सेवा सहकारी समितियों से कृषि आदान सामग्री की मांग किये जाने पर एक सप्ताह के भीतर मांग अनुसार आदान सामग्री (देयक के साथ) संबंधित जिले के उपसंचालक कृषि को प्रदाय कराना सुनिश्चित करें।

4/ संबंधित उपसंचालक कृषि की जवाबदारी होगी कि वे आदान सामग्री एवं देयक प्राप्त होने के 20 दिवस के भीतर संबंधित संस्था को प्राप्त कृषि आदान सामग्री की अनुदान राशि एवं कृषक अंश राशि को भुगतान करें।

उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

o/c

(डी. एस. मिश्र)
कृषि उत्पादन आयुक्त
एवं प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग